

सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान
CSIR-Central Electronics Engineering Research Institute
पिलानी (राजस्थान) Pilani (Rajasthan) 333031

No.सं. 35/1/2011-रा.भा.

दिनांक 11.7.2019

परिपत्र / Circular

विषय : राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत उल्लिखित दस्तावेजों को द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी करने की अनिवार्यता।

Subject : Documents mentioned in Section 3(3) of OL Act 1963 mandatorily be issued bilingual(Hindi-English).


संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथा संशोधित 1967) की धारा 3(3) सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसके अनुसार केंद्रीय सरकार के कार्यालय से जारी किए जाने वाले निम्नलिखित दस्तावेजों को द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) जारी करने की अनिवार्यता है :

With regard to the implementation of OL policy of the Union, Section 3(3) of Official Language Act 1963 (As amended 1967) is of utmost importance, according to which the following documents mandatorily be issued bilingually (Hindi-English) :

1.	संकल्प	Resolution
2.	सामान्य आदेश	General Orders
3.	नियम	Rules
4.	अधिसूचनाएँ	Notifications
5.	प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन	Administrative or other reports
6.	प्रेस विज्ञप्तियाँ	Press Release/Communiques
7.	संविदाएँ	Contracts
8.	करार	Agreements
9.	अनुज्ञप्तियाँ	Licences
10.	अनुज्ञा पत्र	Permits
11.	सूचनाएँ	Notices
12.	निविदा प्ररूप	Tender Forms
13.	संसद के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन	Administrative & other reports to be laid before the Parliament
14.	संसद के समक्ष रखे गए राजकीय कागज पत्र	Official Papers to be laid before the Parliament

अतः सभी सहकर्मियों को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत उल्लिखित उपर्युक्त कागज-पत्र अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएँ और ऐसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसे दस्तावेज हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयार, निष्पादित और जारी किए जाते हैं। अतः अंग्रेजी में तैयार उपर्युक्त दस्तावेजों को जारी करने से पूर्व हिंदी अनुवाद के लिए राजभाषा प्रकोष्ठ में भिजवाएँ।

संस्थान में संघ की राजभाषा नीति के अनुपालन में सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का सहयोग अपेक्षित है।


11/7/19
(विनोद कुमार/Vinod Kumar)

प्रशासनिक अधिकारी/Admn. Officer

प्रतिलिपि/Copy to

1. निदेशक कार्यालय/Director's Office
2. प्रशासनिक अधिकारी/AO
3. सभी क्षेत्र समन्वयक, अनुभागाध्यक्ष All ACs, Sectional Heads
4. सूचना पट्ट / Notice Boards